

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)



### CENTRALBOARDOFSECONDARYEDUCATION

(An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education Govt. of India)

सी.बी.एस.ई/निदेशक (एसई)/एएस/2025/

12.06.2025

### <u>अधिसूचना</u>

### कक्षा XI-XII के लिए कौशल विषय "आशुलिपि अंग्रेजी (825)" के लिए शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

कौशल शिक्षा विभाग, सीबीएसई, नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार, सीबीएसई संबद्ध स्कूलों में पहले से ही पढ़ा रहे शिक्षकों या उन स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है, जो कौशल विषय "आशुलिपि अंग्रेजी" लेने के इच्छुक हैं:

कौशल विषय और	कार्यक्रम का स्थान	समय	पंजीकरण	पंजीकरण की
दिनांक				अंतिम तिथि
आशुलिपि अंग्रेजी (825) 25 जून 2025 (बुधवार)	YWCA दिल्ली, महिला प्रशिक्षण संस्थान, गेट न. 3, बंग्ला साहिब लेन, 1 अशोक रोड, हनुमान रोड एरिया, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001	सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक	https://forms.gle/ 1pmwgLcVVt1r5 Nsy8	24 जून 2025 (मंगलवार)

<sup>\*</sup>यदि लिंक काम नहीं करता है, तो कृपया पते को कॉपी करके ब्राउज़र में पेस्ट करें।

### कृपया ध्यान दें कि:

- 1. यह क्षमता निर्माण कार्यक्रम **ऑफलाइन मोड** में आयोजित किया जाएगा।
- 2. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उन विद्यालयों के शिक्षकों के लिए है, जो पहले से ही वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर कौशल विषय के रूप में आश्लिपि अंग्रेजी शुरू कर चुके हैं या शुरू करने जा रहे हैं।
- 3. कौशल विषय पढ़ाने वाले सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों के शिक्षकों के लिए निर्धारित तिथि के अनुसार प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है।
- 4. बोर्ड द्वारा कोई टीए/डीए देय नहीं है।
- 5. उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कोई भागीदारी शुल्क नहीं है।
- 6. बोर्ड द्वारा आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने के बाद ही प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।

किसी भी प्रश्न या जानकारी के लिए कृपया कौशल शिक्षा विभाग के सहायक सचिव को drpoojaakshay.cbse@gmail.com पर लिखें।

(डॉ. विश्वजीत साहा)

निदेशक (कौशल शिक्षा)







(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)



#### CENTRALBOARDOFSECONDARYEDUCATION

(An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education Govt. of India)

प्रतिलिपि नीचे दिए गए निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को इस अनुरोध के साथ भेजी जा रही है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों में यह सूचना प्रसारित करें:

- 1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, दिल्ली -110016.
- 2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर-62, संस्थागत क्षेत्र, नोएडा-201309.
- 3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, एनसीटी दिल्ली सरकार, प्राना सचिवालय, दिल्ली-110054.
- 4. सार्वजनिक निर्देश निदेशक (स्कूल), केंद्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़-160017.
- शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम -737101.
- 6. स्कूल शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111.
- 7. शिक्षा निदेशक, सरकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर-744101.
- 8. निदेशक, केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, ईएसएसईएसएस प्लाजा, सामुदायिक केंद्र, सेक्टर 3, रोहिणी।
- 9. सचिव, सैनिक स्कूल सोसायटी, कमरा नंबर 101, डी -1 विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110001.
- 10. सेना शिक्षा के अतिरिक्त महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली -110001.
- 11. सचिव AWES, रक्षा मंत्रालय (सेना) का एकीकृत मुख्यालय, FDRC बिल्डिंग नंबर 202, शंकर विहार (APS के पास), दिल्ली कैंट 110010.
- 12. सचिव एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS), जनजातीय मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार।
- 13. अध्यक्ष, ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन, N-1/9, दूरदर्शन केंद्र के पास, पोस्ट ऑफिस सैनिक स्कूल नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा-751005.
- 14. सीबीएसई के अध्यक्ष के उप सचिव सीबीएसई के अध्यक्ष की जानकारी हेत्।
- 15. बोर्ड के सभी विभागाध्यक्ष।
- 16. सीबीएसई के सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस अनुरोध के साथ कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में बोर्ड के सभी संबद्घ विद्यालयों के प्रमुखों को अनुपालन के लिए यह परिपत्र भेजें।
- 17. सीबीएसई के प्रमुख (मीडिया और जनसंपर्क)।
- 18. सीबीएसई के सहायक सचिव (आईटी), द्वारका इस अनुरोध के साथ कि वे इस अधिसूचना को सीबीएसई अकादमिक वेबसाइट पर अपलोड करें।

निदेशक (कौशल शिक्षा)







(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)



### CENTRALBOARDOFSECONDARYEDUCATION

(An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education Govt. of India)

CBSE/Dir.(SE)/AS/2025/

12.06.2025

#### **NOTIFICATION**

## Capacity building programme for teachers for skill subject "Shorthand English (825)" for classes XI – XII

The Department of Skill Education, CBSE is going to organize a one-day Capacity building programme for teachers already teaching or teachers of the schools who are willing to take-up the skill subject "Shorthand English" in CBSE affiliated schools as per the details mentioned below:

Skill Subject and Date	Venue	Timing	Registration Link	Last date of registration
Shorthand English (825) 25 <sup>th</sup> June 2025 (Wednesday)	YWCA of Delhi Women's Training Institute Gate no3, Bangla Sahib Lane, 1 Ashoka Road, Hanuman Road Area, Connaught Place, New Delhi - 110001	10:00 AM to 5:00 PM	https://forms.gle /1pmwgLcVVt1r 5Nsy8	7/IUI II INA

<sup>\*</sup>In case the link doesn't work, please copy and paste the address in the browser.

#### Please note that:

- 1. This capacity building programme will be conducted in an **OFFLINE MODE**.
- 2. This training programme is meant for the teachers of the schools who already have or are going to introduce **Shorthand English** as a skill subject at Senior Secondary level.
- 3. It is mandatory for the teachers of the CBSE affiliated schools who are teaching skill subjects to attend training as per stipulated date.
- 4. No TA/DA is admissible by the Board.
- 5. There is no participation fee for attending the above training programme.
- 6. Certificates would be given by the board only after ensuring your participation.

For any queries or information, please write to Assistant Secretary, Department of Skill Education at <a href="mailto:drpoojaakshay.cbse@gmail.com">drpoojaakshay.cbse@gmail.com</a>

(Dr. Biswajit Saha)
Director (Skill Education)







(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)



#### CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India)

Copy to the respective Heads of Directorates, Organizations and Institutions as indicated below with a request to disseminate the information to all the schools under their jurisdiction:

- 1. The Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, Delhi -110016.
- 2. The Commissioner, Navodaya Vidyalaya Samiti, B-15, Sector-62, Institutional Area, Noida-201309.
- 3. The Director of Education, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi- 110054
- 4. The Director of Public Instructions (Schools), Union Territory Secretariat, Sector 9, Chandigarh-160017
- 5. The Director of Education, Govt. of Sikkim, Gangtok, Sikkim -737101
- 6. The Director of School Education, Govt. of Arunachal Pradesh, Itanagar-791111
- 7. The Director of Education, Govt. of Andaman & Nicobar Islands, Port Blair-744101
- 8. The Director, Central Tibetan School Administration, ESSESS Plaza, Community Centre, Sector 3, Rohini
- 9. The Secretary, Sainik Schools Society, Room No.101, D -1 Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110001
- 10. The Additional Director General of Army Education, A –Wing, Sena Bhawan, DHQ, PO, New Delhi 110001
- 11. The Secretary AWES, Integrated Head quarter s of MoD (Army), FDRC Building No.202, Shankar Vihar (Near APS), Delhi Cantt 110010
- 12. The Secretary Eklavya Model Residential Schools|(EMRS),Ministry of Tribal Affairs, Government of India.
- 13. The Chairman, Odisha Adarsha Vidyalaya Sangathan,N-1/9, Near Doordarshan Kendra, PO Sainik School Nayapalli, Bhubaneswar, Odisha-751005.
- 14. The Deputy Secretary to Chairman, CBSE for kind information of the Chairman, CBSE
- 15. All the Heads of Department of the Board
- 16. All the Regional Directors/Regional Officers/Head-COEs, CBSE with the request to send this circular to all the Heads of the affiliated schools of the Board in their respective regions for compliance
- 17. Head (Media & Public Relations), CBSE
- 18. Assistant Secretary (IT), CBSE, Dwarka with the request to upload this notification on the CBSE Academic website

**Director (Skill Education)** 



